26

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 965–दो/2014 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 22–7–2013 – पारित व्दारा – तहसीलदार, तहसील सीहोर – प्रकरण कमांक 164 अ 12/2012–13

कृष्णकान्त पुत्र विचित्र कुमार सक्सैना

कृषक ग्राम खुरानिया निवासी 22 विचित्र विला

प्रोफेसर कालोनी, भोपाल ———आवेदक

विरूद्व

श्रीमती राजश्री पॅवार पत्नि रनछोड़ सिंह पॅवार

कृषक ग्राम खुरानिया निवासी नेहरनगर भोपाल ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जगदीश जैऩ)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 03–2018 को पारित)

तहसीलदार, तहसील सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 164 अ 12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22–7–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार, तहसील सीहोर को आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की ग्राम खुरानिया स्थत भूमि सर्वे कमांक 130/3 रकबा 0.351 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार, तहसील सीहोर ने प्रकरण कमांक 164 अ 12/2012–13 पंजीबद्व किया तथा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराकर आदेश दिनांक 22–7–13 पारित किया एंव किये गये

सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार सीहोर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आवेदक को सूचना दिये बिना एकपक्षीय सीमांकन किया है तथा अनावेदक की भूमि आवेदक के कब्जे में होना गलत बताई है। समस्त कार्यवाही एकपक्षीय की गई है । सीमांकन का नियम है कि पड़ौसी कास्तकारों को सूचना दी जाना चाहिये, किन्तु कोई सूचना नहीं दी गई। सीमांकन की जानकारी आवेदक को तब हुई, जबकि तहसील न्यायालय से धारा 250 का नोटिस प्राप्त हुआ। इसके वाद प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर यह जानकारी के दिन से समय के भीतर निगरानी की गई है। निगरानी स्वीकार की जाकर दुवारा सीमांकन के आदेश दिये जॉय।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकन की सूचना विधिवत् आवेदक को दी गई थी एंव मौके पर वह उपस्थित रहा है किन्तु उसने पंचनामे पर दस्तखत करने से मना कर दिया है । आवेदक व्दारा अनावेदक की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है किया गया सीमांकन सही है । उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 23–6–13 के अवलोकन पर पाया गया कि सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित है कि :–

" आवेदक की ग्राम खुरिनया स्थित भूमि खसरा नं. 130/3 रकबा 0.352 है. का सीमांकन आवेदक, पड़ौसी कृषक की उपस्थिति में सीमांकन दल व्दारा किया गया। सीमांकित खसरा नं. 130/3 में से रकबा 0.162 हैक्टेयर पर खन्ती खोदकर एंव मुरम मिटटी डालकर रास्ता निर्माण कार्य हो चुका है शेष भाग 0.190 हैक्टेयर के भाग पर कृष्णकांत आ. विचित्र सक्सैना निवासी 22 विचित्र विला प्रोफेसर कालोनी भोपाल के व्दारा तार फेंसिग कर एंव कास्त कर अवैध कब्जा

कर लिया गया है। अनावेदक को सीमांकन के पूर्व लिखित सूचना दी गई, मौके पर उपस्थित । हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। ''

स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक मौके पर उपस्थित रहा है और उसने पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जहां तक अनावेदक की भूमि से आवेदक की भूमि प्रभावित किये जाने वावत् दिये गये तर्क का प्रश्न है, यदि आवेदक स्वयं की भूमि को किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता है एंव सीमांकन से संतुष्ट नहीं है, तब वह अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से ई.टी.एस.एम. मशीन व्दारा स्वंय् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में उसे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता नहीं है और इन्हीं कारणों से तहसीलदार, तहसील सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 164 अ 12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22–7–13 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, तहसील सीहोर व्दारा प्रकरण कमांक 164 अ 12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22–7–13 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर